न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 29/2019

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. पार्वती पत्नी स्व0 इन्द्राज जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
2. गायत्री 3. सावित्री देवी 4. सिलोचना पुत्रीयान इन्द्राज जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
5. दलीप कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय भादरा तहसील नोहर।

/

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 07/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 178 की 5.4750 हैक्ट भूमि ख0न0 201/173 की 1.4160 हैक्ट भूमि कुल 6.8910 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा हुणतपुरा तहसील भादरा के खाता स0 83 की 2.4020 हैक्ट, ख0न0 85 की 5.9950 हैक्ट कुल 8.3970 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज केसुराम के नाम दर्ज रही है। केसुराम के देहान्त सन 1994 में फौत होने की वजह से उस समय हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 1956 प्रभावी था तथा उक्त अधिनियम की दफा 6 व 8 के अनुसार इन्द्राज के जीवनकाल में उसके लड़को का उसके साथ बहिब हक हिस्सा था एवं लड़कियों का कोई हक हिस्सा नही था इसलिए उक्त भूमि में इन्द्राज व उसके दो लड़को का बहिब हक [illegible] था लेकिन इन्द्राज के फौत होने के पश्चात वाद भूमि उसके सभी वारिसान के [illegible] की माता व बहिनें इन्द्राज के 1/3 हिस्सा में से ही अपना हक हिस्सा [illegible] अधिकारी थी। वाद भूमि [illegible] अप्रार्थीगण के नाम हक से ज्यादा दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul,
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 178 की 5.4750 हैक्ट भूमि ख0न0 201/173 की 1.4160 हैक्ट भूमि कुल 6.8910 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा हुणतपुरा तहसील भादरा के खाता स0 83 की 2.4020 हैक्ट, ख0न0 85 की 5.9950 हैक्ट कुल 8.3970 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थी के हिस्से की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज केसुराम के नाम दर्ज रही है। केसुराम के देहान्त सन 1994 में फौत होने की वजह से उस समय हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 1956 प्रभावी था तथा उक्त अधिनियम की दफा 6 व 8 के अनुसार इन्द्राज के जीवनकाल में उसके लड़को का उसके साथ बहिब हक हिस्सा था एवं लड़कियों का कोई हक हिस्सा नही था इसलिए उक्त भूमि में इन्द्राज व उसके दो लड़को का बहिब हक हिस्सा था लेकिन इन्द्राज के फौत होने के पश्चात वाद भूमि उसके सभी वारिसान के दर्ज हो गयी जबकि सायल की माता व बहिनें इन्द्राज के 1/3 हिस्सा में से ही अपना हक हिस्सा लेने की अधिकारी थी। प्रार्थी का उक्त कथन सही नही है क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में सभी वारिसान का बहिब हक हिस्सा होता है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के सभी वारिसान के नाम वाद भूमि बहिब दर्ज है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है अतः निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul.
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 13.03.2019 व दिनांक 15.03.2019 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:35:56 IST
Reason: SelfAttested